

धारा-114. सदस्यों का रजिस्टर- सदस्यों या अंशों का कोई रजिस्टर या सूची, जो किसी सहकारी समिति द्वारा रखी जाये, उसमें प्रविष्टि निम्नलिखित विषयों की प्रथम दृष्टया साक्ष्य होगी-

(क) दिनांक जब उस रजिस्टर या सूची में किसी व्यक्ति का नाम सदस्य

के रूप में प्रविष्ट किया गया हो;

(ख) दिनांक जब ऐसा कोई व्यक्ति सदस्य नहीं रह गया हो।